


**विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम एवं अनुदेश**

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में वि.सं. 10/2017 के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी, वि.सं. 18/2017 के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक, सर्जरी, वि.सं. 19/2017 के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक, शिशु रोग एवं वि.सं. 22/2017 के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग के अर्हित उम्मीदवारों का साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश:-

विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
वि.सं. 18/2017 सहायक प्राध्यापक, सर्जरी	बुधवार 07.03.2018	180001, 180002, 180003, 180005, 180007, 180012, 180015, 180016, 180017, 180021, 180022, 180027	180028, 180031, 180033, 180034, 180035, 180038, 180039, 180040, 180042, 180043, 180044, 180045
	गुरुवार 08.03.2018	180049, 180050, 180052, 180060, 180061, 180062, 180063, 180066, 180069, 180070, 180075, 180076	180080, 180081, 180083, 180084, 180089, 180092, 180094, 180096, 180099, 180100, 180104, 180106
	शुक्रवार 09.03.2018	180107, 180110, 180114, 180117, 180118, 180120, 180121, 180124, 180125, 180129, 180136, 180147	180148, 180154, 180155, 180156, 180157, 180160, 180166, 180173, 180176, 180182, 180188, 180194
	शनिवार 10.03.2018	180195, 180197, 180200, 180202, 180210, 180214, 180215, 180217, 180219, 180220, 180224, 180227	180229, 180231, 180234, 180237, 180240, 180241, 180243, 180246, 180247, 180251, 180253, 180254
वि.सं. 19/2017 सहायक प्राध्यापक, शिशु रोग	सोमवार 19.03.2018	190001, 190003, 190004, 190005, 190007, 190008, 190009, 190011, 190013, 190015, 190017, 190018	190019, 190020, 190021, 190022, 190023, 190024, 190025, 190026, 190029, 190030, 190031, 190032
	मंगलवार 20.03.2018	190034, 190038, 190039, 190041, 190043, 190044, 190045, 190046, 190047, 190050, 190054, 190055	190058, 190059, 190060, 190064, 190065, 190066, 190067, 190068, 190073, 190074, 190078, 190084
	बुधवार 21.03.2018	190087, 190089, 190090, 190091, 190093, 190095, 190097, 190099, 190100, 190102, 190103, 190104	190106, 190107, 190109, 190110, 190111, 190113, 190118, 190120, 190121, 190126, 190127, 190131, 190135
वि.सं. 10/2017 सहायक प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी	शुक्रवार 23.03.2018	100003, 100004, 100005, 100006, 100007, 100009, 100010, 100015, 100019, 100021, 100022	100023, 100024, 100025, 100029, 100031, 100033, 100042, 100043, 100044, 100047, 100049
	शनिवार 24.03.2018	100051, 100052, 100053, 100054, 100057, 100060, 100061, 100063, 100064, 100067, 100069	xxxxxx
वि.सं. 22/2017 सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग	शुक्रवार 23.03.2018	220003, 220004, 220005, 220006, 220007, 220008, 220009, 220010, 220012, 220016, 220017, 220018	220021, 220022, 220023, 220024, 220026, 220027, 220033, 220036, 220037, 220040, 220042, 220043
	शनिवार 24.03.2018	220044, 220049, 220051, 220053, 220054, 220055, 220057, 220058, 220065, 220071, 220073, 220075, 220080	xxxxxx

- उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से ही आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाइट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र-II भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
- शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी निम्नलिखित परीक्षाओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि (डिग्री आदि का), अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र, तथा जन्म तिथि का साक्ष्य (Proof of Date of Birth) मूल में तथा उनकी दो छायाप्रतियाँ साथ में अवश्य लेते आयें :-
  - जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
  - एम.बी.बी.एस. के सभी सत्रों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल अंक पत्र। नोट:- अनुत्तीर्णता की स्थिति में अभ्यर्थी जिस विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। उस विषय का अनुत्तीर्ण अंक एवं उत्तीर्ण अंक, अंक पत्र में अवश्य अंकित होना चाहिए।
  - एम.बी.बी.एस. उत्तीर्णता से सम्बन्धित Attempt Certificate जो कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत हो।  
नोट:-विज्ञापन के अंकित शर्तों के आलोक में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
  - एम.बी.बी.एस. उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
  - भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक से संबंधित प्रमाण-पत्र;
  - विषय विशेष में MD/MS/DNB की उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
  - भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में कम-से-कम तीन वर्षों तक सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में कार्य करने सम्बन्धी अनुभव का प्रमाण पत्र।
  - राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के लिए 03 (तीन) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
  - डी.एम./एम.सी.-एच./डी.एन.बी. (सुपर-स्पेशलिटी)/पीएच.डी. प्रमाण पत्र;
  - सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (केवल शैक्षिक पद पर कार्यरत चिकित्सक/रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर का कार्यानुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

- (xi) (a) मान्यताप्राप्त पत्रिकाओं (जर्नलों) में प्रकाशित मौलिक लेख एवं जर्नल की प्रति।  
(b) जर्नल के मुख्य लेखक के प्रमाण के लिए उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके अधीन वह अपना लेख (पेपर) तैयार किया है, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति।
- (xii) M.C.I. अथवा राज्य के मेडिकल रेजिस्ट्रेशन काउन्सिल से निबंधन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- (xiii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति; भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र;
4. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
5. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा - मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
6. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

  
22.2.16  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना